संख्या-58/2020/617/बावन-1-2020-01(98)/2013टी0सी0

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2020

विषयः- ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों के मानदेय/टी0ए0, डी0ए0 मद की धनराशि के भुगतान हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-115/अ0सं0क0नि0/एम0एस0डी0पी0/ब्ला0ले0फै0-194/2019, दिनांक 26-05-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत/तैनात ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों के वित्तीय वर्ष 2018-19 के मानदेय/टी0ए0, डी0ए0 की अवशेष धनराशि रू0 6,91,657/- एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के मानदेय/टी0ए0, डी0ए0 मद की धनराशि रू0 2,95,80,000/- के भुगतान हेतु बजट आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-42/2019/जी0आई0-54/52-1-2019-01(98)/2013, दिनांक 13.09.2019 एवं संशोधन आदेश संख्या-45/2019/1013/52-1-2019-01(98)/2013, दिनांक 24.09.2019 तथा संशोधन आदेश संख्या-55/2020/565/52-1-2020-01(98)/2013टी0सी0, दिनांक 04.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों के मानदेय/टी0ए0, डी0ए0 की धनराशि के भुगतान हेतु अपेक्षित धनराशि रू0 1,79,09,244/- के सापेक्ष इस मद की समर्पित धनराशि रू0 1,72,17,544/- को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–एम0एस0ड0पी0-21/14/2017-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 24.07.2019 द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में निर्गत किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यरत/तैनात 145 ब्लाक लैबिल फैसिलिटेटरों (मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत 11 ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटर+पी0एम0जे0वी0के0 योजनान्तर्गत तैनात 134 ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटर) के वित्तीय वर्ष 2019-20 (12 माह) हेतु रू0 2,95,80,000/-तथा पी0एम0जे0वी0के0 योजनान्तर्गत तैनात 134 ब्लाक लेविल फैसिलिटेटरों के वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवशेष पारिश्रमिक/मानदेय की धनराशि रू0 6,91,657/- के भुगतान हेतु अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या - एम0एस0डी0पी0- 21/14/2017-

UniCode Surrender

http://shasanadesh.up.gov.in

एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दि024.03.2020 द्वारा अवमुक्त **केन्द्रांश की धनराशि रू0 3,02,71,657/- (रूपये तीन करोड़ दो लाख इकह्त्तर हजार छ: सौ सत्तावन मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 500.00 लाख में से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0	विवरण	धनराशि रूपये में
1	2	3
1	मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत 11 ब्लाक लेविल फैसिलिटेटर के पारिश्रमिक/मानेदय की धनराशि रू0 17000/- प्रतिमाह की दर से दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक (12 माह) की धनराशि (17000 x 11 x12=22,44,000)	22,44,000.00
2	पी0एम0जे0वी0के0 के अन्तर्गत तैनात 134 ब्लाक लेविल फैसिलिटेटर के पारिश्रमिक/मानेदय की विगत वर्ष 2018-19 की अवशेष धनराशि रू0 6,91,657/- एवं रू0 17000/- प्रतिमाह की दर से दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक (12 माह) की धनराशि (17000 x 134 x12= 2,73,36,000)	2,80,27,657.00
	योग (रूपये तीन करोड़ दो लाख इकहत्तर हजार छ: सौ सत्तावन)	3,02,71,657

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत 11 ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों के पारिश्रमिक/मानदेय की उक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेविल फैसिलिटेटर की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु उपयोग किया जायेगा।

(2) पी0एम0जे0वी0के0 योजनान्तर्गत तैनात134 ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों के पारिश्रमिक/मानदेय की धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेबिल फैसिलिटेटरों की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उपयोग किया जायेगा।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार एवं **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 एवं शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11-04-2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा** तथा यथावश्यक अनुमोदन प्राप्त कर धनराशि व्यय की जायेगी।

(4)- **यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।**

(5)- **अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।**

(6)- **स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(7)- सम्बन्धित जिलाधिकरी द्वारा भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके जनपद के सम्बन्धित ब्लाक में तैनात रहे/कार्यरत ब्लाक लेविल फैसिलिटेटर समुचित रूप से कार्य का निष्पादन किये थे/कर रहे है।

(8)- प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम0एस0डी0पी0-21/14/2017-एम0एस0डी0पी0-एम.ओ.एम.ए.,दि.24.03.2020 में उल्लिखित नियम /शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक के अनुदान सं0-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-104-एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में फैसिलिटेटर की नियुक्ति-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020 में निहित प्रविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-500/दस-2020, दिनांक 23.07.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-58/2020/617(1)/बावन-1-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
7- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

UniCode Surrender

http://shasanadesh.up.gov.in